न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0170/2019 तारीख रजू:— 03.12.2019

पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह
R.A.S.

1.	रामकिशोर	पिसरान भैरूसिंह जाति गुर्जर निवासी मोरोली तहसील बयाना जिला भरतपुर
2.	ओमी	
3.	कुंमरसिंह	
4.	बच्चू	———————————————— सायलान

बनाम

1.	गुमानसिंह	पिसरान पुखराज जाति गुर्जर निवासी रींझवास तहसील हिण्डौन जिला करौली
2.	मोहनसिंह	
3.	सुजानसिंह	
4.	लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली——— गैरसायलान	

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक :— 7-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी वाद पत्र पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता भैरूसिंह व गैरसायल सं01 ता 3 के पिता पुखराज की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 497 रकबा 16 बिस्वा, 539 रकबा 14 बिस्वा, 528 रकबा 11 बिस्वा, 339 रकबा 17 [illegible]2 रकबा 6 बिस्वा, 802 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन [illegible] है। सायलान के पिता भैरूसिंह आज से तीन चार वर्ष पहले फौत [illegible] हैं तथा गैरसायल सं0 1 ता 3 के पिता आज से करीब 40 साल पूर्व फौ[illegible] हो चुके हैं तथा सायलान सं0 1 ता 3 भैरूसिंह के जायज कानूनी वारिस हैं तथा गैरसायल नं0 1 ता 3 पुखराज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जायज कानूनी वारिस हैं। जो उनके तर्के पर काबिज हैं। सायलान के पिता भैरूसिंह का व गैरसायलान के पिता पुखराज का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2035–38 में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 का सजरा अंकित किया है। जिसमें सुगन (फौत) के दो पुत्र पुखराज (फौत), भैरूसिंह (फौत) हैं। पुखराज (फौत) के वारिसान गुमानसिंह, मोहनसिंह, सुजानसिंह तथा भैरूसिंह (फौत) के वारिसान रामकिशोर ओमी कुंमरसिंह बच्चू हैं। गैरसायल सं01 ता 3 की मॉ केशरदेवी फौत हो चुकी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 497 रकबा 16 बिस्वा, 533 रकबा 14 बिस्वा, 528 रकबा 14 बिस्वा, 339 रकबा 17 बिस्वा, 442 रकबा 6 बिस्वा, 802 रकबा 13 बिस्वा, ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 21 एयर, 226 रकबा 0.21 है0, 229 रकबा 0.17 है0, 365 रकबा 0.21 है0, 398 रकबा 0.02 है0, 788 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन कायम किये हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ता 3 के पिता पुखराज की आज से करीब 40 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा उस बक्स भू– प्रबन्ध विभाग का कार्य चल रहा था, तो भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने सायलान के पिता भैरूसिंह का 1/2 हिस्सा की जगह हाल राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया । जबकि पुखराज का भैरू सगा भाई था। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने सायलान के पिता भैरूसिंह का 1/2 हिस्सा की जगह 1/5 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड ऑफ राईटस की पवित्रता को ही नष्ट कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को सायलान के पिता भैरूसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 ने मौके पर आराजीयात मुतजिका मद नं04 प्रार्थना पत्र का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सायलान उक्त अराजीयात के 1/2 हिस्से को तथा गैरसायल सं01 ता 3 उक्त आराजीयात के हिस्से को काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे हैं। सायलान व गैरसयल सं01 ता 3 के अलावा उक्त आराजीयात से किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध या बास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि दिनांक 13.06.2019 को सायलान अपनी उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खुलवाने बाबत् पटवारी हल्का के पास गये तो हल्का पटवारी ने कहा कि [illegible] रिकार्ड में 1/5 हिस्सा दर्ज हो रहा है। इसे 1/2 हिस्सा दुरुस्त कराओ तो नामान्तकरण खुलेगा। तब सायलान ने गैरसायल सं01 ता 3 से कहा कि [illegible] तहसील में चलकर इसे दुरुस्त कराओ। तब गैरसायल सं01 ता 3 साय[illegible] को 2–3 महिने तक टालते रहे तथा अब गैरसायल सं01 ता 3 की नियत में बदयांति आ गयी है तथा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:05 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

24.10.2019 को दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया है। तब सायलान ने हाल राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर यह दावा व सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 24.10.2019 को सुबह 9 बजे का है कि भू–प्रबन्ध विभाग की उक्त गलती के कारण गैरसायल सं01 ता 3 के मन में बदयान्ति आ गयी है तथा गैरसयल सं01 ता 3 सायलान को अपने 1/2 हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने को आमादा हो रहे हैं तथा गैरसायल सं01 ता 3 ने सायलान को फसल काश्त नहीं करने की धमकी दी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 ता 3 ने सायलान को अपने 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त नहीं करने दिया व सायलान को बेदखल कर दिया तो सायलान के बाल बच्चे भूखे मर जावेंगे तथा सायलान को गांव छोडकर जाना पडेगा तथा पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढेगी तथा सायलान बर्बाद हो जावेंगे। जिनकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायल सं01 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना कानूनन न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात खसरा नम्बर 167 रकबा 21 एयर, 226 रकबा 0.21 है0, 229 रकबा 0.17 है0, 365 रकबा 0.21 है0, 398 रकबा 0.02 है0, 788 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन में सायलान के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.08.2021 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्य[illegible] के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38, फोटो प्रति नकल खतौनी भू–प्रबन्ध, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:05 IST
Reason: Self Attested

उपखंड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 21 एयर, 226 रकबा 0.21 है0, 229 रकबा 0.17 है0, 385 रकबा 0.21 है0, 388 रकबा 0.02 है0, 788 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशर पत्नि पुखराज हि01/5, गुमानसिंह पुत्र पुखराज हि01/5, भैरूसिंह पुत्र सुगन हि01/5, मोहनसिंह पुत्र पुखराज हि01/5, सुजानसिंह पुत्र पुखराज हि01/5 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 339 रकबा 17 बिस्वा, 439 रकबा 3 बिस्वा, 442 रकबा 6 बिस्वा, 497 रकबा 16 बिस्वा, 528 रकबा 14 बिस्वा, 533 रकबा 14 बिस्वा, 795 रकबा 8 बिस्वा, 802 रकबा 13 बिस्वा, 810 रकबा 3 बिस्वा, 811 रकबा 13 बिस्वा, 821 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन की खातेदारी पुखराज भैरूसिंह पिस0 सुगन कौम गूजर सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी भू–प्रबन्ध के अनुसार हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 21 एयर, 226 रकबा 0.21 है0, 229 रकबा 0.17 है0, 385 रकबा 0.21 है0, 388 रकबा 0.02 है0, 788 रकबा 0.13 है0, 994 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन की खातेदरी मोहनसिंह सुजानसिंह गुमानसिंह पि0 पुखराज मु0 केशर बेबा पुखराज व भैरूसिंह पि0 सुगन कौम गूजर सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
339	17 बिस्वा	385	0.21 है0
439 442 441	3 बिस्वा 6 बिस्वा 6 बिस्वा	387	0.20 है0
442	6 बिस्वा	388	0.02 है0
497	16 बिस्वा	167	0.21 है0
528	14 बिस्वा	229	0.17 है0
533	14 बिस्वा	226	0.21 है0
802	13 बिस्वा	788	0.13 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान साबिक रिकार्ड के आधार पर अपने दावा में 1/2 की खातेदारी कराना चाहते हैं तथा विवादित आराजीयात में सायलान अपना 1/2 हिस्सा बताते हैं जबकि वर्तमान रिकार्ड में सायलान का 1/5 हिस्सा है। साबिक रिकार्ड के सम्बन्ध में सायलान के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सं0 2035–38 में कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि सायलान के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में 4 बीघा 16 बिस्वा का ही अंकन किया गया है। शेष आराजीयात की खातेदारी वर्तमान में किसके नाम है। इस संदर्भ में कोई अंकन नहीं किया है और मिलान क्षेत्रफल भी अधूरा पेश किया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि साबिक एवं हाल रिकार्ड के अनुसार रकबा का मेल नहीं खाने के कारण और शेष रकबा की खातेदारी किसके नाम है इस बात की पुष्टि नहीं होने के कारण सायलान का 1/2 हिस्सा की पुष्टि नहीं होती है क्या पता जो शेष रकबा है वह सायलान की खातेदारी में पृथक से सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज कर दिया हो तथा इस भूमि में सायलान का 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया हो। सायलान एवं गैरसायलान वर्तमान में विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है। इसलिए यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना है। जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। सायलान का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 21 एयर, 226 रकबा 0.21 है0, 229 रकबा 0.17 है0, 365 रकबा 0.21 है0, 398 रकबा 0.02 है0, 788 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 03.12.2019 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 7-9-20... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner